कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1782 / FP/UK/ROAD/12464/2015 देहरादूनः दिनांकः 20 जनवरी 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.442 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 214 / 2015 / एफ0सी0 / 1775 दिनांकः–25.01.2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815 / 12–1–2 दिनांक 19.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.884 है0 ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.884 है0 ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 8,03,670.00 RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. 000000472470180 दिनांक 09–11–2018 से जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.884 है0 ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर के आदेश संख्या–166 / छब्बीस–17वन / 2017–18 दिनांक 12–08–2018 के द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। संदर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 9,47,394.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

4	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 9,47,394.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 8,03,670.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 17,51,064.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	सड़क निर्माण के पचात जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पचात जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर strip plantation कराये जाने सम्बन्धित वचनबद्धता पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न की जा चुकी है। पुनः वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
6	State Govt. will submit an undertaking that number of plants to be planted over CA land shall be at least 1000 plants per ha and if requisite number of plants @1000/ha cannot be planted on the Civil Soyam land identified for CA then balance number of plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of Working Plan. The State Govt. will intimate to this office the name of RF/PF in which the balance seedling will be planted.	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– / FP/UK/ROAD/12464/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

20/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:- 05963-220249 फैक्स नं0:- 05963-220209

पत्रांक 1745 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 08/01 /2019

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण 1.442 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भः- भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/214/2015/ एफ0सी0 / 1775 दिनांक 25.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम मे अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आप्पतियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को चार प्रति में प्रेषित की गयी है जो तीन प्रति में अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न-- आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

दिनांकित।

पत्रांक

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को उनके पत्रांक 2566 / 2ई0व0भू0 दि0 25.09.2018 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adikari

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2566 / 3ई0व0भू0 दिनांक 25/9/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषयः— **जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.442 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः— भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 214 / 2015 / एफ0सी0 / 1775 दिनांक 25.01.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न— सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

पत्रॉक 2566 / 3ई0व0भू0 तद्दिनांक O/C

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.442 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/214/2015/एफ0सी0/1775 दिनांक 25.01.2018 द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तो बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

1– शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.884 है0 ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 803670.00 मात्र (रू0 आठ लाख तीन हजार छः सौ सत्तर मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 000000472470180 दिनांक 09.11.2018 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.884 है0 ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 166/छब्बीस–17वन/2017–18 दिनांक 12.06.2018 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–294/र0का0/वन भू0ह0/2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में रू0 947394.00 (रू0 नौ लाख सेंतालीस हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 000000472470180 दिनांक 09.11.2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन में सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की दरें में बढोत्तरी होने पर बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचतबद्वता पहले ही प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।

4– शर्त सं0 4 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियॉ RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। बैंक से प्राप्त यू0टी0आर0 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

5– शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।

6– शर्त सं0 6 प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति एवं भारत सरकार से भूमि हस्तान्तरण आदेश जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न–

(1) जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 12.06.2018 की प्रति।
(2) तहसीलदार बागेश्वर के पत्र दिनांक 19.06.2018 खतोनी की प्रति सहित।
(3) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।
(4) शासनादेश की प्रति संलग्न है।
(5) प्रमाण पत्र।
(6) एन0पी0वी0 बिल की प्रमाणित प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में बोहाला से नंदीगॉव तक मोटरमार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.442 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 2.884 है0 जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र,लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4644 रकवा 13.313 है0 मध्ये 2.884 है0, भूमि जो श्रेणी 9 (3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या– 2173/XVIII(II)2012–18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू0सी0पी0/06/214/2015/एफ0सी0/1775 दिनांक 25.01.2018 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या – 166/ छब्बीस –17वन /2017–18 दिनांक 12/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक –एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

04/06/18

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

वनभूमि सहायक
15/6/18

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D P.W.D Bageshwar

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–294/र०का०/वन भू0ह०/2018 दिनांक 19 जून ,2018

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर
पत्रा. नं. 25
डायरी नं. 1685
दिनांक 25/6/18

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– **जनपद बागेश्वर में बोहाला से नंदीगॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 1.442 है० की दुगुनी अवनत भूमि 2.884 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या– 166/छब्बीस– 17 वन/2017–18 दिनांक 12/6/18 के अनुपालन में ग्राम दुलम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 47 के पैमायशी खेत नं० 4644 रकवा 13.313 है० मध्ये 2.884 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :–

(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी नकल प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट।

वन भूमि (हस्तां)

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

नकल गैर जमींदारी खतौनी

नं-ठुकम ग्राम अनिर्णीत-लोहारखेत तह०-कपकोट जनपद-बागेश्वर
श्रेणी-६(२) क जंगलात

खाता संख्या	नाम खातेदार/पिता/पति का नाम		खेत नम्बर	रकबा (ना०मु०)	लगान	अन्य विवरण
१	जंगलात		२६२२	३७१		श्रीमान जिलाधिकारी बागेश्वर के आ० सं० 166/ द्वीत 17-वन/2017-18 दिनांक 12/6/18 के अनुसार बागेश्वर के बोहाला से नहीं गाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि/भूमि है की कुल 2.004 हे० उपरान्त के मे रा० नि० खा० स० 47 के पैमाइशी खेत नम्बर 4644 रकबा 12.110 है मध्ये 2.004 हे० श्रेणी 9(3) क [illegible] भारत सरकार के शासनादेश सं० 2131(XVIII(1)) 2012-10(120) 2012 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 एवं भारत सरकार के पत्रांक [illegible]/05/2014/2015 [illegible] / 1725 दिनांक 20.01.2018 में दी गयी शर्तों के अधीन [illegible] हेतु वन विभाग के पक्ष में [illegible] है। इन्द्राजात किये गये। ह० [illegible] 14/06/2018
			२६२३	१०७॥।=		
			२६२४	२७१॥।=		
			२६२५	११२॥		
			कमश:			
			४६४१	२२५		
			४६४२	१२०		
			४६४४	६६२॥=		
			४६४६	४०६१		
			४६४७	३६३॥।		
			कमश:			
			४६५३	६५॥=		
			४६५५	३२११		
	योग		२६	२१०६॥=		

महोदय,
असल से नकल कर तैयार किया।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.W.D. Bageshwar

सत्यापित।
तहसीलदार
तहसील कपकोट
19.06.2018

18/6/18
के. एन. गोस्वामी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र लोहारखेत
तह० कपकोट

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-08-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6112464683
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/214/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(In Rs)	1751064/-

Amount In Words :Seventeen Lakh Fifty-One Thousand and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896112464683 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-08-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6112464683
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/214/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	1751064/-

Amount In Words :Seventeen Lakh Fifty-One Thousand and Sixty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896112464683 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT.FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 214 / 2015 / एफ0सी0 / [illegible]   दिनांक: 25 / 01 / 2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – **बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.442 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 682/X-4-15/1(388)/2015 दिनांक 06.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/12464/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– **बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.442 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण** विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.884 है0 ग्राम–दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं इसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए,** अन्य माध्यमों से जमा **की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit an undertaking that number of plants to be planted over CA land shall be at least 1000 plants per ha and if requisite number of plants @1000/ha cannot be planted on the Civil Soyam land identified for CA then balance number of plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of Working Plan. The State Govt. will intimate to this office the name of RF/PF in which the balance seedling will be planted.

(हस्ताक्षर) 25/01/18

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण व्यय बहन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग .द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

नोट— उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नामः— **जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बोहाला से नन्दीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

नोट— उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर